संख्या-27/2017/आर-3374/26-3-2016-4(50)/2015

प्रेषक,

सुनील कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 21 मार्च 2017

विषयः-प्रदेश के राजकीय विभागों, स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों एवं जिला पंचायतों में दिनांक-31.12.2001 तक नियुक्त दैनिक वेतन/वर्कचार्ज एवं संविदा कार्मिकों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1358/स.क./स्था.-3/दै.वे.विनि.2016-17, दिनांक-05.07.2016 पत्रांक-1895/स.क./स्था.-3/दै.वे.विनि.2016-17, दिनांक-29.07.2016 तथा पत्रांक-2057/स.क./स्था.-3/दै.वे.विनि.2016-17, दिनांक-16.09.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक्विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-6637/26-3-89-एस.एन.डी.।।/87 दिनांक-22.01.1990 द्वारा निदेशालय, समाज कल्याण में सांख्यकीय इकाई के लिये डाटाइन्ट्री आपरेटर/डाटावेरीफायर संवर्ग हेतु सृजित पदों में कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए का 01 अतिरिक्त पद (अधिसंख्य पद के रूप में) अस्थाई रूप से लेवल-4, वेतनमान रूपया-25,500-81,100/-में, दिनांक-28.02.2018 तक के लिये यदि इसे इसके पूर्व बिना सूचना के समाप्त न कर दिये जाय, सृजित करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत् शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)-डाटाइन्ट्री आपरेटर/डाटावेरीफायर संवर्ग में सृजित उक्त पद पूर्णतया अस्थाई रूप से अधिसंख्य पद होगा। उक्त संवर्ग में सृजित नियमित पद जैसे ही रिक्त पद होगा, अधिसंख्य पद स्वतः समाप्त माना जायेगा।

(2)-उपर्युक्त पद के पदधारक को शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत दर पर मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते जो अनुमन्य होंगे, देय होंगे।

2- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-80 के लेखा शीर्षक-2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनेत्तर-001-निदेशन और प्रशासन-03-मुख्यालय अधिष्ठान' के अधीन सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-291/दस-2017, दिनांक-16.03.2017 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय

सुनील कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव

पृ0संख्या-27/2017/आर-3374(1)/26-3-2016तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम) उ0प्र0इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (ब्यय नियन्त्रण) अनुभाग-3/वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
4- नियोजन अनुभाग-3/कार्मिक अनुभाग-1
5- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्ड फाईल।

आज्ञा से

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।